

पंजीकृत/ई-मेल द्वारा भी

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 324 /स्था0-2/स्थानान्तरण राज्य स्तर/2018

दिनांक 01 मई, 2018

विषय:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) के अनुपालन में विभिन्न विभागों के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 194/2-2-स्था0/308/2018-19 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 एवं पत्र संख्या 263/2-2-स्था0(161)स्थानान्तरण/2018-19 दिनांक 26 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु वरियता क्रम में अधिकतम 10 इच्छित विकास खण्डों हेतु निर्धारित प्रारूप पर विकल्प पृथक-2 संवर्गावार उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के परिपालन में जिला विकास कार्यालय, अधिष्ठान जनपद हरिद्वार से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में विकल्प की सूचना www.ukrd.uk.gov.in की बेवसाइड में उल्लेखित सूची के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है:-

1. खण्ड विकास अधिकारी	-	02
2. सहायक खण्ड विकास अधिकारी	-	12
3. लेखाकार	-	17
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	-	01
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	-	01

संलग्न:-

यथोक्त।

भवदीय,

(पुष्पेन्द्र सिंह चौहान)
जिला विकास अधिकारी,
हरिद्वार।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत 10 इच्छित स्थानों के नाम (जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण आयुक्तालय स्तर से किया जाना है के प्राथमिक क्रमांकानुसार)

क्र० सं०	नाम कार्मिक	पदनाम	तैनाती स्थान / जनपद का नाम कार्यालय	गृह जनपद	इच्छित स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्री धामीलाल कोषवाल	खण्ड विकास अधिकारी	वि०ख० भगवानपुर सुगम क्षेत्र	चमोली	वरिष्ठ कार्मिक कोई विकल्प नहीं
2	श्री चन्दन लाल राही	खण्ड विकास अधिकारी	वि०ख० लक्सर सुगम क्षेत्र	पौड़ी	वरिष्ठ कार्मिक कोई विकल्प नहीं

जिला शिक्षण अधिकारी
हरिद्वार